राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ 37( )पंरावि/प्र.2/मंत्रा/प्रतिनियु./नरेगा/18/4387 जयपुर, दिनांक : 25/10/18

संशोधित आदेश

कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां हुई है। उक्त कनिष्ठ लिपिकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से मनरेगा योजना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया था। विभागीय आदेश क्रमांक 2223 दिनांक 30.05.2016 के द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत प्रतिनियुक्ति पद पदस्थापित सभी कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 4296 दिनांक 18.10.18 जारी किया गया था, उक्त आदेश को निरस्त कर निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

" चूंकि उक्त कनिष्ठ लिपिकों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना का कार्य किया जा रहा है। अतः उक्त समस्त कनिष्ठ लिपिकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत की जाती है। इनके वेतन-भत्तों का भुगतान तत्काल प्रभाव से महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रशासनिक व्यय मद से किया जावेगा। "

(कुंजीलाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचा. राज विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त-प्रथम/द्वितीय, ईजीएस
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज/महात्मा गांधी नरेगा योजना।
7. मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त. को प्रेषित कर लेख है कि कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की प्रतिनियुक्ति नरेगा योजनान्तर्गत सृजित समकक्ष पदों पर तत्काल कर उनका वेतन भुगतान नरेगा योजना से किया जावें।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति. समस्त।
9. एससीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार जांगिड़)
संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त